Champaran Satyagraha Centenary

On the afternoon of April 15, 1917, thousands had gathered at Motihari railway station in Bihar's East Champaran, waiting for a man who was destined to lift their lives out of misery. It was 3 pm when Gandhiji alighted at the station from a train coming from Muzaffarpur. One of the places Gandhiji went to was the Bhitiharwa Ashram in Champaran, North Bihar, where in 1917; he came to conduct the famous "Indigo Labour Enquiry" and then launched a Satyagraha against forced cultivation of indigo by poor farmers.

It was at Champaran that the transformation from Mohandas into the Mahatma began. This is the story of Gandhi's first satyagraha. The movement that began a new chapter in India's Independence struggle.

After his return from South Africa in 1915, Gandhiji established the Sabarmati Ashram in Gujarat. Then, on his mentor Gopal Krishna Gokhale's advice, he embarked on a journey to discover India. He travelled all over the country, from Calcutta (Now Kolkata) and Shantiniketan in Bengal to Kanpur, Rangoon (Now Yangon) and Rishikesh. During the 31st session of the Congress in Lucknow in 1916, Gandhiji met Raj Kumar Shukla, a representative of farmers from Champaran, who requested him to go and see for himself the miseries of the indigo ryots (tenant farmers) there.

The farmers were poorly compensated for their indigo crops and if they refused to plant indigo, they had to face heavy taxation. The landlords (mostly British) would enforce this system through their agents, called gumasta, who executed the terms brutally.

As a result, the reduced production of much-needed food crops and exclusive indigo farming (they were not allowed to grow any other crop even during the indigo off-season) had led to untold sufferings for the ryot farmers, including a famine-like situation. So, when the news of Gandhi's arrival reached Champaran, it spread in the region like wildfire and he was greeted by large crowds of peasants at railway stations all along the way from Muzaffarpur to Motihari.

A day after reaching Motihari, Gandhiji left for the village of Jasaulipatti – he had heard about a tenant there who had been beaten and whose property had been destroyed by the landlords.

He was on his way to the village when he was served a notice from the British district magistrate, WB Heycock, with orders to leave Champaran by the next available train. Gandhi refused to comply and the police arrested him. He was produced before a court on April 18 where the magistrate proposed a deal,

"If you leave the district now and promise not to return, the case againt you will be withdrawn"
Gandhi replied "I came here to render humanitarian services to the people of this region. I shall make Champaran my home and not leave till I have helped these suffering people."

With the kind of support Gandhiji was already receiving from the people of Champaran, the British government, fearing unrest, released him. Two days later the case was withdrawn and Gandhiji was allowed to remain in the district. The government also instructed its officers to look into the indigo farmers' sufferings.

During his stay in Champaran, Gandhiji took up residence at Hazarimal Dharmashala in Bettiah village. He then visited many villages in the region to study the grievances of the peasants. He recorded the statements and testimonies of 8,000 indigo cultivators to understand their issues and the causes underlying them.

Soon realizing that ignorance and illiteracy among the farmers had made it easy for the Britishers to exploit and repress them, Gandhiji decided to setup voluntary organizations to improve the economic and educational conditions of the people.

He laid the foundations for three schools in 1917 – the first near Motihari, the second in Bhitiharwa and the third in Madhuban. To bridge the gap between education and work, he also set up several self-sustaining 'Buniyadi' schools where training in spinning, carpentry, farming and weaving were imparted as a part of school education.

Realizing Gandhi's strength and devotion to the cause, the government made Gandhiji a member of an enquiry committee constituted to look into the excesses committed by landlords and planters. In October, the committee submitted its report to the government and on November 29, the Champaran Agrarian bill was submitted in the Bihar Legislative Council.

On March 4, 1919, with the formal signature of the Governor General, this bill turned into a law. Almost a year after Gandhi's arrival, the exploitative tinkathia system had finally been abolished.

There have been peasant movements before and after the Champaran movement of 1917, but what makes Gandhi's Champaran satyagraha significant is the fact that it was the first time that bridges had been built between the peasants and the other sections, especially the middle class intelligentsia. In this sense, the symbolic significance of this satyagraha was much greater than what actually happened in Champaran.

Department of Posts is pleased to issue a set of Commemorative Postage Stamps on the occasion of Centenary of Champaran Satyagraha.

Credits:-

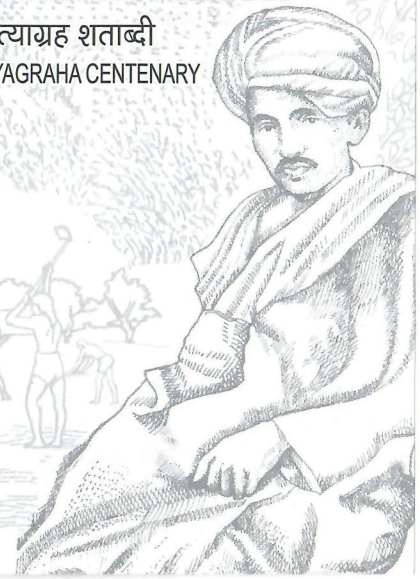
Text	:	Based on the information available on internet
Stamps/Miniature Sheet/FDC/ Brochure/	:	Shri Sankha Samantha
Cancellation Cachet	:	Smt. Alka Sharma

भारतीय डाक
India Post

भारतीय डाक विभाग
Department of Posts
India



चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी
CHAMPARAN SATYAGRAHA CENTENARY



विवरणिका BROCHURE

चंपारण सत्याग्रह शताब्दी

15 अप्रैल, 1917 की दोपहर थी, जब बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर हजारों का जनसमूह एक ऐसे मसीहा का स्वागत करने के लिए अधीर था, जो उनके जीवन को दुख के सागर से उबारने वाला था। 3 बजे का वक्त था, जब मुजफ्फरपुर से आई एक ट्रेन से गांधीजी उतरे। यहां पहुंचने के बाद, गांधीजी उत्तर बिहार के चंपारण में स्थित भितिहरवा आश्रम गए। यहां वे नील मजदूरों की स्थिति जानने के लिए पहुंचे थे और हालात को देखकर उन्होंने निर्धन किसानों से जबरन करवाई जा रही नील की खेती के विरूद्ध सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया।

चंपारण की इसी भूमि पर गांधीजी के मोहनदास से महात्मा बनने का सफर शुरू हुआ। यह गांधीजी के पहले सत्याग्रह की कहानी है। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नया अध्याय जोड़ा।

1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधीजी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की। इसके बाद अपने गुरू, श्री गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर वे भारत को जानने-समझने हेतु समस्त देश की यात्रा पर निकल पड़े। इस दौरान उन्होंने देश के कोने-कोने की यात्रा की। वे बंगाल में कलकत्ता (अब कोलकाता) तथा शांति निकेतन से कानपुर तथा रंगून (अब यांगॉन) और ऋषिकेश तक गए। 1916 में लखनऊ में हुए कांग्रेस के 31वें अधिवेशन के दौरान गांधीजी की मुलाकात चंपारण के किसानों के प्रतिनिधि राजकुमार शुक्ल से हुई, जिन्होंने गांधीजी से यह अनुरोध किया कि वे स्वयं एक बार चंपारण आएं और वहां के नील रैयतों (काश्तकारों) की दुर्दशा देखें।

चंपारण क्षेत्र के किसानों को नील की फसल की अत्यंत कम कीमत प्रदान की जाती थी और यदि वे नील की खेती करने से इंकार करते थे, तो उन पर भारी लगान लगा दिया जाता था। वहां के जमींदार (जो अधिकतर ब्रिटिश थे), इस प्रणाली को अपने एजेंटों के जरिए लागू करते थे। इन एजेंटों को गुमाश्ता कहा जाता था और ये गुमाश्ते इन अंग्रेज जमींदारों की शर्तों को बड़ी निर्ममता से लागू करते थे।

इसके परिणामस्वरूप, किसान आवश्यक खाद्य फसलों की खेती बहुत कम कर पाते थे और मजबूरन उन्हें केवल नील उगाना पड़ता था (नील उगाने का मौसम नहीं होने पर भी उन्हें अपने खेतों में कोई और फसल उगाने की इजाजत नहीं थी)। इसके चलते रैयत किसानों की भारी दुर्दशा हो चुकी थी और उन्हें अकाल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए, जब गांधीजी के चंपारण पहुंचने की खबर यहां आई, तो वह जंगल में आग की तरह फैली और मुजफ्फरपुर से मोतिहारी तक सभी रेलवे स्टेशनों पर खेतिहर मजदूरों की अपार भीड़ गांधीजी के स्वागत के लिए उमड़ पड़ी।

मोतिहारी पहुंचने के अगले दिन गांधीजी जसौलीपट्टी नामक गांव पहुंचे। यहां उन्होंने एक ऐसे रैयत खेतिहर मजदूर के बारे में सुना था, जिसे जमींदारों ने बेरहमी से पीटा था और उसकी संपत्ति नष्ट कर दी थी।

गांधीजी इस गांव के रास्ते में ही थे जब उन्हें अंग्रेज जिला मजिस्ट्रेट डब्ल्यू बी हेकॉक का फरमान मिला, जिसमें उन्हें अगली ही ट्रेन से चंपारण छोड़ देने का हुक्म दिया गया था। महात्मा गांधी ने इस हुक्म को मानने से इंकार कर दिया और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 18 अप्रैल को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां मजिस्ट्रेट ने उनके सामने यह शर्त रखी :-

"यदि आप यह जिला अभी छोड़ दें और वादा करें कि आप यहां लौट कर नहीं आएंगे, तो आपके खिलाफ यह मामला वापस ले लिया जाएगा।"

इसके जवाब में गांधीजी ने कहा कि, "मैं यहां इस क्षेत्र के लोगों को मानवीय सेवाएं देने आया था। मैं, चंपारण को ही अपना घर बनाऊंगा और यहां से तब तक नहीं जाऊंगा, जब तक कि मैं इन दमित, शोषित लोगों की जरूरी मदद नहीं कर देता।"

चंपारण के लोगों से गांधीजी को मिल रहे समर्थन को देखकर ब्रिटिश हुकूमत को इस क्षेत्र में असंतोष फैलने का अंदेशा हुआ, जिसके चलते गांधीजी को रिहा कर दिया गया। इसके दो दिन बाद महात्मा गांधी के खिलाफ दर्ज मामला भी वापस ले लिया गया और उन्हें इस जिले में रहने की अनुमति प्रदान कर दी गई। ब्रिटिश हुकूमत ने अपने अफसरों को नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के मामलों की जांच करने का भी हुक्म दिया।

चंपारण प्रवास के दौरान गांधीजी बेतिया की हजारीमल धर्मशाला में रहे। वे इस क्षेत्र के कई गांवों में गए और काश्तकारों की शिकायतों को जानने समझने का प्रयास किया। उन्होंने इस मुद्दे और इसके कारणों के समग्र अध्ययन के लिए नील की खेती करने वाले लगभग 8,000 किसानों के बयान और साक्ष्य दर्ज किए।

गांधीजी ने पाया कि इन निर्धन किसानों की अज्ञानता और निरक्षरता ने अंग्रेजों के लिए इनके शोषण और दमन का रास्ता आसान बना दिया था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए तथा यहां के लोगों की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से गांधीजी ने यहां स्वैच्छिक संगठनों की स्थापना करने का निर्णय लिया।

1917 में उन्होंने यहां 3 स्कूलों की आधारशिला रखी - पहला मोतिहारी के निकट, दूसरा भितिहरवा में तथा तीसरा मधुबन में। शिक्षा तथा काम-काज में तालमेल बनाने के मकसद से उन्होंने अनेक स्वपोषित रोजगारोन्मुखी 'बुनियादी' स्कूलों की भी स्थापना की। इन स्कूलों में कताई, बढ़ईगिरी, खेतीबाड़ी और बुनाई जैसे कार्यों का प्रशिक्षण स्कूली पाठ्यक्रम के भाग के तौर पर दिया जाता था।

गांधीजी की प्रतिष्ठा और उनकी ताकत तथा नील किसानों की समस्याओं के निवारण के प्रति उनके समर्पण भाव को देखते हुए, सरकार ने उन्हें उस क्षेत्र के जमींदारों और खेत मालिकों द्वारा की गई ज्यादतियों की जांच करने के लिए बनी समिति का सदस्य नियुक्त किया। इस समिति ने अक्तूबर में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी और 29 नवम्बर को चंपारण कृषक विधेयक, बिहार विधान परिषद में प्रस्तुत हुआ।

4 मार्च, 1919 को गवर्नर जनरल के औपचारिक हस्ताक्षर होने के उपरांत यह विधेयक कानून बन गया। गांधीजी के आगमन के लगभग एक वर्ष बाद इस क्षेत्र में व्याप्त शोषण आधारित तिनकठिया प्रणाली का अंत हो गया।

1917 में चंपारण में हुए इस आंदोलन से पहले और इसके बाद भी कई किसान आंदोलन हुए, पर गांधीजी के चंपारण सत्याग्रह का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह पहला मौका था, जब खेतिहर मजदूरों तथा समाज के अन्य वर्गों खासकर मध्यवर्ग के बुद्धिजीवियों के बीच वैचारिक और आत्मीय सेतुबंधन हुआ था। इसी दृष्टिकोण से इस सत्याग्रह का प्रतीकात्मक महत्व उस घटनाक्रम से कहीं अधिक है, जो वास्तव में चंपारण में घटित हुआ।

डाक विभाग, चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मारक डाक-टिकटों का सेट जारी करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता है।

आभार:-

मूलपाठ	:	इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी पर आधारित
डाक टिकट/प्रथम दिवस आवरण/ मिनियेचर शीट/विवरणिका/	:	श्री शंखा सामंत
विरूपण	:	श्रीमती अलका शर्मा

भारतीय डाक
India Post

तकनीकी आंकड़े
TECHNICAL DATA

मूल्यवर्ग	:	500 पैसा, 1000 पैसा, 2500 पैसा
Denomination	:	500 p, 1000 p, 2500 p
मुद्रित डाक टिकटें	:	5.0 लाख प्रत्येक
Stamps Printed	:	5.0 Lakh each
मुद्रित मिनियेचर शीट	:	1.0 लाख
Miniature Sheet Printed	:	1.0 Lakh
मुद्रण प्रक्रिया	:	वेट ऑफसेट
Printing Process	:	Wet Offset
मुद्रक	:	प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद
Printer	:	Security Printing Press, Hyderabad

The philatelic items are available for sale at http://www.epostoffice.gov.in/PHILATELY_3D.html

© डाक विभाग, भारत सरकार। डाक-टिकट, प्रथम दिवस आवरण तथा सूचना विवरणिका के संबंध में सर्वाधिकार विभाग के पास है।

© Department of Posts, Government of India. All rights with respect to the stamp, first day cover and information brochure rest with the Department.

मूल्य ₹ 5.00